रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102022-239685
CG-DL-E-15102022-239685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944
No. 520] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2022

फा. सं.—एल–1/261/2021/केविविआ.—चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (इसके बाद जीएनए विनियम के रूप में उल्लिखित) को दिनांक 07.06.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग–III, खंड–4, सं.364) में प्रकाशित किया गया था,

चूंकि, जीएनए विनियमों के विनियम 1.2 में उपबंध है कि ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और पृथक विनियमों के आरंभ के लिए पृथक तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं,

और अब, अतएव, यह अधिसूचित किया जाता है कि:

(क) जीएनए विनियम, विनियम 23 से 24, 26 से 36, 37.9, 38, 40, और 43 के उपबंधों को छोड़कर दिनांक 15.10.2022 से प्रवृत्त होंगे जिनके आरंभ की तारीख पृथक रूप से अधिसूचित की जाएगी।

(ख) संयोजकता और जीएनए के लिए नए आवेदन और जीएनए विनियमों के अधीन उनके प्रसंस्करण और अनुदान को पृथक रूप से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त किया जाएगा।

(ग) विद्युत के अनुसूचीकरण और प्रेषण का, अगली अधिसूचना तक, समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक निर्दिष्ट आईएसटीएस उपभोक्ताओं (डीआईएस) के दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए), मध्यकालिक निर्बाध पहुंच (एमटीओए) और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच (एसटीओए) और ग्रिड के अन्य उपयोगकर्ताओं की मात्रा पर आधारित होना जारी रहेगा।

(घ) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच का, अगली अधिसूचना तक, समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 और उसके अधीन जारी विस्तृत क्रियाविधि के अधीन अनुदान किया जाना जारी रहेगा।

(ङ) अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की बिलिंग, संग्रहण और संवितरण का, अगली अधिसूचना तक, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक निर्दिष्ट आईएसटीएस उपभोक्ताओं (डीआईएस) के दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए), मध्यकालिक निर्बाध पहुंच (एमटीओए) और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच (एसटीओए) और ग्रिड के अन्य उपयोगकर्ताओं की मात्रा पर आधारित होना जारी रहेगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./342/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2022

F.No. L-1/261/2021/CERC.—Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter GNA Regulations) was, on 07.06.2022, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 364),

Whereas, the Regulation 1.2 of the GNA regulations provides that the regulations shall come into force from the date to be notified by the Commission and different dates may be appointed for commencement of different regulations,

And now, therefore, it is notified that:

(a) The GNA Regulations shall come into operation with effect from 15.10.2022 except the provisions of Regulations 23 to 24, 26 to 36, 37.9, 38, 40, and 43, whose date of commencement shall be notified separately.

(b) Fresh Applications for Connectivity and GNA and their processing and grant under GNA Regulations shall be made effective from a date to be notified separately.

(c) Scheduling and Despatch of electricity shall continue to be based on the quantum of Long-Term Access (LTA), Medium-Term Open Access (MTOA) and Short-Term Open Access (STOA) of each of the Designated ISTS Customers (DICs) and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, as amended from time to time, till further notification.

(d) STOA shall continue to be granted under the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time and the Detailed Procedures issued thereunder, till further notification.

(e) Billing, Collection and Disbursement of the inter-State Transmission Charges and Losses shall continue to be based on the quantum of Long-Term Access (LTA), Medium-Term Open Access (MTOA) and Short-Term Open Access (STOA) of each of the DICs and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 till further notification.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./342/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA